

Mahob.

उत्तर प्रदेश गव. २० फरवरी, १९६० ई० (फाइनल १, १८८१ शक संवत्)

[भाग १]

क्र.सं.	ग्राम सड़क	दूर: मील, फर्लाङ्ग और फीटों में	विवरण
	६-नालीन-वनगरा रोड	१ मील से ११ मी० तक	मूनि की सीमा पर्यन्त द्वारा अंकित की गई है
११-हमीरपुर महोबा	महोबा सेकशन		
	१-कानपुर-हमीरपुर-पगोडा रोड	३० मी० से १०५ मी० तक	"
	२-महोबा-रघु-मुसफेरा रोड	१ मी० से ५७ मी० तक	"
	३-महोबा-चरणारी रोड	१ मी० से ५३ मी० तक	"
	हमीरपुर सेकशन		
	४-नऊजहा-कपसा रोड	०-०-० से ०-४-०	"
	५-रोड रमोष फ्रांज बायेंर बिच से रसीला टाउन	०-०-० से १-३-४०	"
	६-हमीरपुर-पनयारी रोड	०-०-० से १५-०-०	"
	७-हमीरपुर-मुसफेरा रोड	२-१-० से ३२-०-०	"
	८-मसन्द गुज रोड	०-०-० से १-०-०	"
	९-गुवामापुर रोड	०-७-० से ४-२-०	"
	१०-अडम रोड-चफरती	०-०-० से ५-०-०	"
	११-ममलीया-फारेस्ट रोड	०-०-० से ५-०-०	"
	१२-मुवा रेलवे स्टेशन से चरणारी रोड	०-०-० से ६-३-५१५	"
१२-मयूरा	१-मयूरा डिमग रोड	०-०-० से १७-१-२०७	"
	२-मयूरा-पुन्दावन रोड	०-०-० से ६-१-१०	"
	३-मयूरा-नपुरा	१३-०-० से १२८-०-०	"
	४-मयूरा-खलकरा रोड	०-०-० से ८-१-४२०	"
	५-आगरा-अलीगंज रोड	१३-०-० से २३-०-०	"
	६-कोठी-नगवणिय-चरसा	०-०-० से ११-०-०	"
	७-नन्द गण-कामा	६-१-५२५ से ९-३-१५६	"
	८-मयूरा-पटा	१-०-० से १२-२-३३०	"
	९-गोबरपन-राया कुंज	०-०-० से २-३-२४१	"
	१०-छता-गोबरपन	६-०-० से ८-५-४२५	"
	११-बुढिया धदावत रोड-आगर रोड	१२ मील २ फ० ३३० फीट से ३६ मील ५ फ० ६० फीट	"
	१२-राम नजीला रोड	०-०-० से २५-३-५८०	"
	१३-गोबरपन-धोल येनद रोड	०-०-० से १२-४-५० ६३० फीट	"
	१४-होली दरवाजा रोड	०-०-० से १-०-३८७	"
	१५-छता रेलवे फोडर रोड	०-०-० से ०-४-६०	"
	१६-फरह रोड	०-०-० से ०-२-६१८	"
	१७-बद रेलवे फोडर रोड	०-०-० से ०-२-३०८	"
	१८-छता रेलवे फोडर रोड	०-०-० से ०-१-६५०	"
	१९-अनहल रेलवे फोडर रोड	०-०-० से ०-५-६५४	"
	२०-छता रेलवे फोडर रोड	०-०-० से ०-१-४१८	"
	२१-गोबरपन-रेलवे फोडर रोड	०-०-० से ०-२-२५१	"
	२२-गोकुल फोडर रोड	०-०-० से ०-७-३९०	"
	२३-धलदेव फोडर रोड	०-०-० से ०-४-५०८	"
	२४-बाम्बे-बिहारी गड सागर म्युनिसिपल रोड	७८२-३-४५४ से ७८७-७-३३०	"
	२५-बम्बई-बिहारी रोड	७८१-०-० से ८१७-०-०	"
१३-आगरा	१-आगरा गड कहरा रोड	३-०-० से ५८-०-०	"
	२-फरेरा अडेडवर समुन गेरी रोड	१-०-० से ७-०-०	"
	३-वाहू सरी रोड	१-०-० से १०-०-०	"
	४-फतेहाबाद गार्डियरसन	मील २, ३ और ४	"

प्रभागीय प्रशासकारी
महोबा जिल्हा प्रभाग
महोबा

1702020

आर ७७७ प. ६. २० कांस्टी. १९६० ई० (कांस्टी. १, १९६१ साल तक)

सुवि-पत्र
११ कांस्टी. १९६० ई०

कामोत्तर्य प्रशासनिक कार्य	प्रा. सं. २५६
प्रा. सं. १०६	१९६० ई०

प्रा. सं. १११-एन-डी/१६-ए-१९६१ (एन-डी)-५९-उत्तर प्रदेश (भाग १), दिनांक ९ जनवरी, १९६० ई० का, एन-डी/१६-ए का अंतिम विस्तार संख्या १०९७ (एन-एन)/१६-ए-१९६१ (एन-एन)-५९, दिनांक ७ जनवरी, १९६० ई० के अन्तर्गत "कॉन्ट्रिब्यूट" के अन्तर्गत १९६१ "गुणवत्ता" के अन्तर्गत "गुणवत्ता" के अन्तर्गत।

पत्र विभाग

विषय

प्रा. सं. १११/१५-१९६१-५०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का नाम है कि दक्षिण कांस्टी. एन-डी, १९६७ (एन-डी) प्रा. सं. १६, १९६७) को प्रा. सं. २९ को उपपारा (३) के अन्तर्गत अतिरिक्त नई तथा अतिरिक्त कामों में इतना अधिकांश समय लगेगा कि इस क्षेत्र राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएव उपरोक्त उपपारा के अन्तर्गत हीरा और उपरोक्त एन-डी की प्रा. सं. ८०-ए के साथ पठित खत प्रा. सं. २९ को उपपारा (१) द्वारा प्राणिक अधिकारों का प्रयोग करके उक्त प्रदेश के राज्यपाल महोदय को पत्र लिखते हैं कि इस प्रकार नई तथा अतिरिक्त कामों के अन्तर्गत प्रा. सं. २९ के अन्तर्गत इतना अनुभवों में उचिततः भूमि पर लागू होंगे।

अतएव

क्रमांक	नाम राज्य	दूरी मील, कर्जा और फीटों में	विवरण
१	देवर-मंगलपुर रोड	३ मील से १० फीट तक	...
२	मंगलपुर-साहयपुर	१ मील से २४ मील तक	...
३	मंगलपुर-सोनी-साहयपुर	मंगलपुर से १७ मील तक २५० फीट तक	...
४	मंगलपुर-मुआना	२ मील से १७ मील तक	...
५	मंगलपुर-मुलखण्डपुर	२ मील से २९ मील तक	...
६	डी० आर० एम० रोड	४१ मील से ५५ मील तक	...
७	डी० डी० रोड	८७ मील से ८७ मील तक	...
८	मंगलपुर-जनसटीकरी	१ मील से ५ मील तक	...
९	मंगलपुर-रेलवे	मंगलपुर से २ क० १०६ फीट तक	...
१०	मोदीपुर-रेलवे कीडर	मंगलपुर से १५० फीट तक	...
११	मोदीपुर-रेलवे कीडर	मंगलपुर से ४ क० १० फीट तक	...
१२	मोदी-सबरमा रोड	२.४२६ से १९.३-३२०	...
१३	मोदी-सबरमा रोड	०.०० से ६.४-२६०	...
१४	मंगलपुर-सिमापुर रोड	३६ मील से ३६ मील तक २०० फीट तक	...
१५	मोदी-सबरमा रोड	१ से २ मील तक	...
१६	मोदी-सबरमा रोड	२३ मील से ३६ मील तक २०० फीट तक	...
१७	मोदी-सबरमा रोड	२८ मील से ६ क० से ८ क० तक ३ मील से ६ क० तक	...
१८	डी० डी० रोड-गाजीपुर; उत्तर प्रदेश राज्य	८७४ मील ५४८ क० से ८७९ मील २ क० ७० फीट तक	...
१९	गाजीपुर-हापुर रोड	१ मील से २१ मील तक २४६ फीट तक	...
२०	हापुर रोड	१ मील ४८५ फीट से १९ मील ४ क० ७० फीट तक	...
२१	डी० आर० एम० रोड	५६ मील से ११ मील तक	...
२२	जतीनी-जनसटीकरी-विजयपुर	२४ मील से ६ क० से ९ मील ३१ फीट तक	...
२३	मुजफ्फरपुर-सिमा	२ मील से ३१ मील तक	...
२४	मुजफ्फरपुर-साहयपुर	७७ मील से १० मील तक	...
२५	मुजफ्फरपुर-विजयपुर	७३ मील से २१ मील तक	...
२६	मोदी-सबरमा रोड	मंगलपुर से ३ मील तक	...
२७	मुजफ्फरपुर-सिमा	७ मील तक	...
२८	मुजफ्फरपुर-साहयपुर रोड	२४ मील से ५३ मील तक ३ क० तक	...

प्रभागीय वनाधिकारी
महोबा-वनप्रभाग
महोबा

कोटी...
क्षेत्रीय व

Mahab.

बस्तर प्रदेश गणतन्त्र, २० फरवरी, १९६० ई० (फासपुन १, १८८१ शासक संयत्)

[भाग १]

क्र.सं.	नाम सड़क	दूरि: कोस, फार्संग और किलो मी	विस्तार
	१-जालीन-धनवरी रोड	१ कोस से १६ मी० तक	भूमि को सीमा परतों द्वारा अंकित की गई है.
	२-महोबा-महोबा रोड	१ कोस से १३-००	
११-दुमौरपुर महोबा	महोबा सेक्शन		
	१-कानपुर-महोबा-महोबा रोड	३० मी० से १०५ मी० तक	
	२-महोबा-रप-मुडगाँव रोड	१ मी० से ५७ मी० तक	
	३-महोबा-भरखारी रोड	१ मी० से ५३ मी० तक	
	दुमौरपुर सेक्शन		
	४-मऊबहा-कपसा रोड	०-०-० से ०-५-०	
	५-रोड नजीक फ़ा न बाहर रोड से रसीला टाउन	०-०-० से १-३-४०	
	६-हरषासनपुर-मनषारी रोड	०-०-० से १५-०-०	
	७-दुमौरपुर-मुसकेरा रोड	१-१-० से ३२-०-०	
	८-मऊबहा-गुज रोड	०-०-० से १-०-०	
	९-गुवामापुर रोड	०-३-० से ४-२-०	
	१०-अडहन रोड-चक्रटो	०-०-० से ५-०-०	
	११-अमलीया-फोरेस्ट रोड	०-०-० से ५-०-०	
१२-मधुवा	१२-मधुवा रेलवे स्टेशन से भरखारी रोड	०-०-० से ६-३-५५	
	१-मधुवा डिग्रो रोड	०-०-० से १७-१-२००	
	२-मधुवा-मुन्दावन रोड	०-०-० से ६-१-१०	
	३-मधुवा-मधुवा	१२-०-० से १२-०-०	
	४-मधुवा-मुलकरा रोड	०-०-० से ८-१-२०	
	५-मागदा-अलीगंज रोड	१३-०-० से २१-०-०	
	६-कोली-मधुवा रोड	०-०-० से ११-०-०	
	७-मधुवा-कामा	६-१-२५ से ९-३-१५	
	८-मधुवा-पडा	१-०-० से १२-२-३३	
	९-मधुवा-दावा कुंड	०-०-० से २-३-२४	
	१०-मधुवा-मधुवा	६-०-० से ८-५-२५	
	११-मधुवा-मधुवा रोड	१२ मील २ फ० ३३० फीट से ३६ मील ५ फ० ६० फीट	
	१२-मधुवा-मधुवा रोड	०-०-० से २५-३-२८	
	१३-मधुवा-मधुवा रोड	०-०-० से १२-४-६३० फीट	
	१४-मधुवा-मधुवा रोड	०-०-० से १-०-३८७	
	१५-मधुवा-मधुवा रोड	०-०-० से ०-४-६०	
	१६-मधुवा-मधुवा रोड	०-०-० से ०-२-६१८	
	१७-मधुवा-मधुवा रोड	०-०-० से ०-२-३०८	
	१८-मधुवा-मधुवा रोड	०-०-० से ०-१-६५०	
	१९-मधुवा-मधुवा रोड	०-०-० से ०-५-२५४	
	२०-मधुवा-मधुवा रोड	०-०-० से ०-१-४१८	
	२१-मधुवा-मधुवा रोड	०-०-० से ०-२-२५१	
	२२-मधुवा-मधुवा रोड	०-०-० से ०-७-३९०	
	२३-मधुवा-मधुवा रोड	०-०-० से ०-४-५०८	
	२४-मधुवा-मधुवा रोड	७८२-१-४५४ से ७८७-७-३३०	
	२५-मधुवा-मधुवा रोड	७८१-०-० से ८१७-०-०	
१३-मागदा	१-मागदा मधुवा रोड	१-०-० से ५८-०-०	
	२-फोरेस्ट मधुवा रोड	१-०-० से ७-०-०	
	३-मागदा रोड	१-०-० से १०-०-०	
	४-फोरेस्ट मधुवा रोड	मील ५, ३ और ४	

प्रभागीय प्रशासिका
महोबा जिल्हा
महोबा

FOREST DEPARTMENT
MISCELLANEOUS

February 27, 1954.

No. 440XIV-730-53, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forests Act (XVII of 1927) the Governor is pleased to declare that it is proposed to constitute the land shown in the sub-joined Schedule in Mahoba and Charkhari Tahsil of Hamirpur District which was under the management of the Collector, Hamirpur, prior to the date of vesting and over which certain restrictions and prohibitions were enforced under notification no. 679-1/386, dated March 29, 1912, as reserved forest.

2. Under sub-section 1(c) of section 4 of the said Act the sub-Divisional Magistrate, Mahoba, is hereby appointed Forest Settlement Officer and under section 17 of the said Act, the Collector, Hamirpur, is empowered to hear appeals from the order of the Forest Settlement Officer.

SCHEDULE

District	Tahsil	Village	Khasra plots proposed to be reserved.	Area in acres.
Hamirpur	Charkhari	1. Puchi	75 and 272	120 ✓
		2. Chutai	832, 989, 1465, 1466, 1467 and 1468	485 ✓
		3. Chauka	1019, 148 and part of 1486	222 ✓
		4. Satari	508	72 ✓
		5. Sarangpura	21	51 ✓
		6. Chhatarwara	783, 786, and 887	171 ✓
		7. Rurikalan	151	154 ✓
		8. Tonder	56, 191, 218, 219 (part), 217 and 341	124 ✓
		9. Deogaon	6	70 ✓
		10. Tolapather	1386 and 1388	144 ✓
	Mahoba	1. Srinager	1193	151 ✓
		2. Bilkhi	301, 241, 611/6, 97, 116, 407 & 408	364 ✓
		3. Ratuali	431	114 ✓
		4. Barkhera	625	393 ✓
		5. Ajaner	8172, 2175, 2176, 3178, 3198, 3200, 3202, 3208, 3203, 3205, 3206, 3209, 2986, 3152 and 2973	1333 ✓
		6. Gund	1, 1/5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11	361 ✓
		7. Ari	888, 887, 869, 868, 870, 871, 866, 865, 864, 872, 889, 784, 884, 1861, 867 & 1862/1	228 ✓
		8. Ladpura	49/2, 56, 422, 423, 424, 426, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440 and 389	420 ✓
		9. Bhaiderwara	100/1	138 ✓
		10. Rikhwaha	182	55.4 ✓
		11. Atania Mafe	98 and 96/1	47 ✓
12. Lakhuara	70, 65, 76/2 and 80/2	52 ✓		
13. Khcl	178	20 ✓		
14. Siyawan	11	20 ✓		
15. Rampura Nauabad	10 and 48	80 ✓		
16. Saithwara	307	48 ✓		
17. Bachhechhar Kalan	699/1, 701 and 705	113 ✓		
18. Ranipur	117	53 ✓		
19. Thurat	404, 413, 412, and 408	162 ✓		
20. Kheriya Khurd	3	78 ✓		
21. Budhwara	113, 114, 135, 28 (part) & 426 (part)	161 ✓		

(13)

Q-2-10-10
33 10-10
49 True copy

Wa
52
Divisional Forest Officer
Hamirpur Forest Division, Bundel

BY ORDER
ZAHURUL HASAN, Secretary
प्रभागीय वनोपकारि
महोबा-वनप्रभाग
महोबा

शुद्धि पत्र

सं० 4406/14-सरकारी विधीयत संख्या 440/14-730-53, दिनांक 27 फरवरी, 1954 को

उक्त प्रज्ञा गजट संख्या 6 मार्च, 1954 को में प्रकीर्णित हो चुकी है, ये निम्नलिखित संशोधन किया जाय

समस्त खसरा प्लॉट संख्या जिनको सुरक्षित बन बनाना प्रास्तावित किया गया था जाता है तथा सामान्य क्षेत्र एकड़ों में दो हुई संख्या के स्थान पर तहसील महोबा के नीचे लिखे ग्रामों के सामने विधेयक पढ़ा जाय।-

खसरा प्लॉट संख्या जिनको सुरक्षित बन बनाना प्रास्तावित किया गया है

तहसील उरखारी

75 व 232	120-20
1019/1 व 1485/11	221-53

तहसील महोबा

वि० सं० 76/1, 77, 78, 2 (बंड) 241, 301, 404 (बंड)	407
रत 441 (बंड)	115
खज 2973 (बंड), 2985, 3152, 3172, 3175, 3176, 3178, 3198, 3200, 3202, 3203 (बंड), 3205, 3206, 3208, 3209	1330-88
1/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11	380
888, 887, 869, 868, 870, 871, 866, 865, 864, 872,	
789, 784, 884, 867, 1861, 1862	230
77, 76, 75, 765	51
मं० सं० 699, 701, 705	115
नुमा 28, 113, 114, 135, 426	254

मिस्तान किया

सत्यप्रतीतिपत्र

गांव में

[Handwritten signature]
4/6

[Handwritten signature]
सत्यापित

पसन्त सिद्ध सेठ,
सांचय

Divisional Forest Officer
FOREST DIVISION

प्रभागीय वनाधिकारी
महोबा-रानेप्रभाग
महोबा

[Handwritten signature]
4/6/70

२१ मूल १९६७

सं० २३(३) - १४-त-९०-विभागीय संख्या ३६११/१ - दिनांक १९ अगस्त, १९६४ ई० ११२१ संख्या "१" में निश्चित भूमि को सीमा प्लॉट एण्ड, १९२७ ई० (एच संख्या १६, १९३) के अधीन रोकता एवं बनाने के प्रावधानों के अंतर्गत

और उक्त भूमि में अधिभारों के कारणों से प्रस्तावित करने के लिए उक्त प्लॉट द्वारा निश्चित भूमि समाप्त हो गई और ऐसे क्षेत्रों के स्वामी रद्दी किए गए हैं, किन्तु अनुसूची "क" में दी गयी सीमा तक विस्तार की गयी है।

अतएव, अब २२९ एच संख्या २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते, राजपत्र दिनांक ३१ जनवरी, १९६७ संख्या "क" में उल्लिखित उक्त भूमि को रक्षित एवं घोषित करते हैं :

अनुसूची "क"

यन ब्लॉक - - भनखः

जिला	तहसील	परगना:	गांव	खसरा पत्र संख्या	क्षेत्रफल (घड़ों में)	विशेष विवरण
हमीरपुर	चरखटा	कुलपहाड़	मानकी	५ (खसरा)	१०००	ब्लॉक के अन्दर निम्न प्रकार हैं:- (१) खसरा प्लॉट संख्या ८, क्षेत्रफल ५ (२) खसरा प्लॉट सं० १३ (खसरा), क्षेत्रफल १ से मिले हुए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी महोबा-वनप्रभाग- महोबा
				६	१६५६०	
				७ (खसरा)	१४१००	
				१०	१००००	
				११ (खसरा)	१११५५	
				१२	४००५	
				१४	१३२३	
				१५	६६६०	
				१६	२२१०	
				१८	४५३	
				१९	०३२	
				२०	०००	
			योग	१२	७६५०६	

सीमा प्रति

स्तम्भ संख्या	स्तम्भ की विवरण	दूसरे स्तम्भ की अनुमानित सीमा	अनुमानित चिपिंग वर्ग फीट	चिपिंग एरर	दूसरे स्तम्भ की अनुमानित दूरी	दूसरे स्तम्भ की प्राप्यता सीमा
१	२	३	४	५	६	७
१	यह चिपिंग प्रभाग पत्थर स्तम्भ से ली गयी है, जो कि प्रायः मानकी खरहटा और चुरवारी राजग अलीपुरा की सीमा पर है	२० २० फुट	१५०००	१३०००	५००	सीमा रेखा
२	चुरवारी राजग अलीपुरा और मानकी की सीमा पर	२० २० फुट	११६००	३२६००	३००	"
३	"	२० २० फुट	१४७००	३२७००	५६०	"
४	"	२० २० फुट	११७००	३२७००	३००	"
५	"	२० २० फुट	११६००	३२६००	४००	"
६	"	२० २० फुट	११६००	३२६००	३००	"
७	"	२० २० फुट	११६००	३२६००	३५०	"
८	"	२० २० फुट	१२५००	३०५००	४२०	"
९	"	२० २० फुट	११६००	३२६००	४००	"
१०	"	२० २० फुट	१०५००	२८५००	४००	"
११	"	२० २० फुट	१०५००	२८५००	४००	"
१२	"	२० २० फुट	१०५००	२८५००	२८०	"

मानकी, चुरवारी राजग और अलीपुरा की प्रायः सीमा पर

सी	कहाँ से	हाँ को	कतंगुण पर दिया	ता।
कुमार	गोरखपुर	गुदाया		
पत्त	गुरदाया	मु. भा. म. म. (नेताताल)		

आता से,
भोला नाम तपारो,
संय वित्त एवं निदेशक।

नम विभाग

अनुभाग-2
अनुसूचना
2 मार्च, 1990 ई०

SR 11/11 - 20(10) - 30 - अगिनिका संख्या 3061/14 - 730 - 53, दिनांक 13 अगस्त, 1954 द्वारा अधो-
को में निर्दिष्ट भूमि को भारतीय न. 1 दिनांक 1927 (अगिनिका संख्या 10, सन् 1927) के अधीन गारदित पन
ताय किया गः या;
उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को न. 1 व न. 2 के अन्तर्गत अधिनियम के द्वारा निरस्त किया समाप्त हो गयी है
दावे स्वीकार नहीं किये गे हैं,
एव, उक्त अधिनियम 10 अथवा 11 के अंतर्गत प्रावधानों के प्रयोग करके राष्ट्रपाल दिनांक 1 मई, 1990 से यन
रहित वन घोषित करते हैं :


सूची
(क. ब्लॉक - स्वात्माक)

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
2	3	4	5	6	7	8
गोरखपुर	कुल गहाड़	खजारी	स्वात्माक	831 लण्ड 833 834	22.35 6.53 0.06	
				योग ..	28.94	
					प्रयोग 1.697	
					हेक्टेयर	

प्रभागीय पनाधिकारी
महोबा-वनप्रभाग
महोबा

वन शोमा यद् तालिका
गा. 1/सं. नं. - स्वात्माक

स्तम्भ की स्थिति	उपरोक्त स्तम्भ की अनुमानित मात्रा	अगले स्तम्भ का अनुमानित नुष्क्रीय कोण	अगले स्तम्भ तक नापी गई दूरी (जरीबों में)	अगले स्तम्भ तक की दूरी	विशेष विवरण
2	3	4	5	6	7
यह विवरण प्रस्तुत आरति. 1	201000	221.30	41.30	5.00	शीपी रेला
वन स्वात्माक के स्तम्भ नं 0-112					
से ली गई है।					
स्वात्माक एवं डोलासोयम की	202000	221.30	41.30	6.53	"
शोमा पर।					
तदेव	310000	302.00	122.00	6.00	"
तदेव	300000	302.00	122.00	7.00	"
तदेव	अज्ञेय	स्तम्भ संख्या 112/1 तक प्रस्तुत आरति वन शोमा है।			
					(सोमान)



उत्तर प्रदेश सरकार

वन विभाग

अनुभाग-2

संशोधन

23 नवम्बर, 2002 ई०

0 88.1/14-2-2001-20(23)/2000--अधिसूचना संख्या (1) संख्या 3961/14-738-53, दिनांक 16 अगस्त 1954 एवं अधिसूचना संख्या 23 (2)-17/14-ल-67, दिनांक 24 जुलाई, 1967 में निम्न सूची (क) में निदिष्ट भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1927) के अधीन आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया है,

और उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त अधिनियम द्वारा निदिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है,

और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किए गये,

अतः उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उक्त भूमि को उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करते हैं :

अनुसूची "क"

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	क्षेत्रफल	विशेष विवरण	
1	2	3	4	5	6	7
					एकड़	
महोबा	चरखारी	कुलपहाड़	चरखरिया	11/1	154.00	
				11/2	2.50	
				11/3	1.26	
				11/4	0.44	
				योग ..	158.20	
					अथवा	
					64.020	
					हेक्टेयर	

[Handwritten Signature]
प्रभागीय चनाधिकारी
महोबा-वनप्रभाग
महोबा

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

द लोतुर बरगरी कुनसुग पोखा

कार-प्रथम

उत्तर-सतत कार संख्या २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१/६, २३२, २४० तथा २४८ की सीमा
 पूर्व-सतत कार संख्या २४६, २४७, २४८/१ तथा २४९ (माला) की सीमा
 पश्चिम-सतत कार संख्या ६२० (माला) की सीमा
 पश्चिम-सतत कार संख्या ६२० (माला) की सीमा

कार-द्वितीय

उत्तर-सतत कार संख्या ८१५, ८१६, ८४३/३, ८४३/४, ८४३, ८४४ तथा ८२५ की सीमा
 पूर्व-सतत कार संख्या ११५५ कटार की सीमा
 पश्चिम-सतत कार संख्या ११५५ की सीमा तथा धाम गोरगा की आवादी
 पश्चिम-सतत कार संख्या ११५६, ११५५, ८४५, ८४६ व ८४३/४ की सीमा

कार-तृतीय

उत्तर-माला सतत कार संख्या १०५० (माला) की सीमा
 पूर्व-माला सतत कार संख्या १२६६ (माला) की सीमा
 पश्चिम-सतत कार संख्या १०४६/१५, १०४६, १०४७, १०४८, १०४९, १०४२, १०४१ व १०३६ की सीमा
 पश्चिम-माला सतत कार संख्या १०५० (माला) की सीमा

कार-चतुर्थ

उत्तर-सतत कार संख्या ६२८, ६२९, ६३०, ६३० (माला) की सीमा तथा माला सतत कार संख्या ६३८ की सीमा
 पूर्व-माला सतत कार संख्या ६३६ तथा माला कार संख्या ६३६/१३, ६३६/१४, ६३६/१५, ६३६/१६, ६३६/१७, तथा ६३६/१८ की सीमा
 पश्चिम-धाम बरगरी व धाम गोरगा की उपस्थित भूमि तथा धाम बरगरी व धाम गोरगा की उपस्थित सीमा

सतत कार संख्या ४४६६/१-४-६६, दिनांक २४ फरवरी, १९६६ ई. व उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४८०३, दिनांक १ अक्टूबर, १९६६ ई. से प्रवर्धित

Emmanuel
 प्रभाग निवेश व नाविकाटी
 महोबा - वन प्रभाग
 महोबा

२१.०.१६

३० जून, १९६६ ई०

सं० २३ (२) १६/१४-स-१६-राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि नीचे दी गयी धनुषी में उल्लिखित भूमि को रक्षित बन बनाया जाय:

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रकृति के संबंध में क्या संशोधित इन्चिजन कार्टर एक्ट, १९२७ (द्वितीय संख्या १५, १९२७) को धारा ४ को उपधारा (१) के अन्तर्गत (ए) के अधीन अधिकारी का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी धनुषी में उल्लिखित भूमि को रक्षित बन बनाया निर्दिष्ट किया गया है।

२-राज्यपाल, उपर्युक्त एक्ट की धारा ४ को उपधारा (१) के खंड (सी) के अधीन परगना अधिकारी, तहसील बरबारी, जिला हमीरपुर को उक्त एक्ट के प्रयोगों के लिये बन बनाये गये अधिकारी नियुक्त करते हैं :

धनुषी

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	सोमा वर्णन	क्षेत्रफल एकड़ों में	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
हमीरपुर	बरबारी	बरबारी	बगरीम	उत्तर-ग्राम गोपालपुरा, इमिलिया और बगरीम के निहरे से मिली हुई ग्राम इमिलिया की सोमा पूर्व-ग्राम गोपालपुरा की सोमा दक्षिण-सं० प्लॉट नं० १०, १२ व १४ (नामा) की सोमा। दक्षिण-पश्चिम-सं० प्लॉट नं० ७, ४ व ५ की सोमा।	१२८.२२ एकड़ इस बन क्षेत्र के अन्तर्गत सं० प्लॉट नं० १, २, ३, ९, ११ और १३ आते हैं।	
हमीरपुर	बरबारी	बरबारी	गोपालपुरा	उत्तर-सोमा इमिलिया की सोमा पूर्व-सं० प्लॉट नं० ८, २७१, स. २७४/१ तथा २७७ की सोमा दक्षिण-ग्राम ठिकारा व बगरीम की सोमा पश्चिम-ग्राम इमिलिया की सोमा	२५४.४० एकड़ इस बन क्षेत्र के अन्तर्गत सं० प्लॉट नं० १, २, ७, २७१/१७, २७२, २७३, २७४/२, २७५ तथा २७६ आते हैं।	
हमीरपुर	बरबारी	बरबारी	इयालपुरा	उत्तर-ग्राम आर्देन गज की सोमा व सं० प्लॉट नं० ११, १०६ तथा १९० की सोमा पूर्व-सं० प्लॉट नं० २१२, २६८ तथा २६९ की सोमा दक्षिण-ग्राम मिटलें गंज की सोमा पश्चिम-ग्राम काई गंज की सोमा	५४२.५६ एकड़ इस बन क्षेत्र के अन्तर्गत सं० प्लॉट नं० १, २, ३, ४, ५, ६, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२ तथा १०१ आते हैं।	
हमीरपुर	बरबारी	बरबारी	संसोल	उत्तर-सं० प्लॉट नं० २७२, २८०, २८५, ११, २९५ तथा ३०२ की सोमा पूर्व-सं० प्लॉट नं० १२६, १२९, १२८, १२१, ४०७, ४१२, ४७१, ४७४ तथा ४८१ की सोमा दक्षिण-ग्राम इयालपुरा व आर्देन गंज की सोमा पश्चिम-ग्राम मुहुरवान की सोमा आकार-१	२४०.५६ एकड़ इस बन क्षेत्र के अन्तर्गत सं० प्लॉट नं० १२७, ४०८, ४०९, ४१०, ४७१, ४८०, ४८१ तथा ४८२ आते हैं।	
हमीरपुर	बरबारी	बरबारी	आर्देन गंज	उत्तर-ग्राम संसोल व मुहुरवान की सोमा पूर्व-सं० प्लॉट नं० २७८, २७९ की सोमा तथा ग्राम इयालपुरा की सोमा दक्षिण-सं० प्लॉट नं० २८१, २७७, २७५, २७६, २७१, २७०, २६९, २६३, २६२, तथा २६१ की सोमा पश्चिम-सं० प्लॉट नं० ११, १२, १४, (नामा) ५१ (नामा) तथा १७ की सोमा कुल विस्तृत।	१४१.७२ एकड़ इस बन क्षेत्र के अन्तर्गत सं० प्लॉट नं० २५, १६, २७, २८, २९, ३० तथा ३१ आकार १ में आते हैं। व सं० प्लॉट नं० २८० आकार २ में आता है।	

प्रभागीय वनाधिकारी
महोसा-वनप्रभाग
बनबोया

२-राज्यपाल उद्युक्त देवट की उक्त धरा की उतगारा (१) के धरा (सि) के भूमीन परगना अधिकारी महेबा, जिला हमीरपुर की उक्त धरा में उल्लिखित प्रयानो के सिने बन करवावे।
 अधिकारी, महेबा परगना, जिला हमीरपुर नियुक्त करते हैं :-

अनुसूची

जिला	सदरतीस	परगना	धाम	सोम धरान	धारा काट सख्या	क्षेत्रफल एकड़ों में	कुल क्षेत्रफल एकड़ों में	जिनसे नियुक्त
१	२	३	४	५	६	७	८	९

हमीरपुर परगना कुलपट्टा १-नंतपुर
 उत्तर-सरकारी जंगल व खसरा काट सं. २५५० की सीमा
 पूरव-खसरा काट सं. २५५२ और २५५० की सीमा
 दक्षिण-खसरा काट सं. २६६२, २६६३, २५६४, २५४३, २६६४ और २६७० की सीमा
 पश्चिम-सरकारी जंगल की सीमा

कलाक १

" " " २-कुलपट्टा
 उत्तर-खसरा काट सं. २२४६ (काट) की सीमा
 पूरव-खसरा काट सं. २२५० (नाला), २२५१ और २२५३ की सीमा
 दक्षिण-ग्राम नंतपुर और कुलपट्टा की उभयनिष्ठ सीमा
 पश्चिम-ग्राम चौंरा और कुलपट्टा की उभयनिष्ठ सीमा तथा खसरा काट सं. २२५२ (काट) की सीमा

कलाक २

" " " ३-सालट
 उत्तर-सरकारी जंगल की सीमा
 पूरव-सरकारी जंगल की सीमा
 दक्षिण-ग्राम मिलीनी और कुलपट्टा की उभयनिष्ठ सीमा
 पश्चिम-खसरा काट सं. २२६० और २२६७ की सीमा
 उत्तर-खसरा काट सं. ४१८ और ४१६ (नाला) की सीमा तथा ग्राम सुपा व सालट की उभयनिष्ठ सीमा

पूरव-खसरा काट सं. ४१६ (नाला) और ५०३ (नाला) की सीमा तथा ग्राम सुपावड़ीरी व सालट की उभयनिष्ठ सीमा
 दक्षिण-खसरा काट सं. ५०५, ४६६, ४६८, ४६९, ४६६, ४६५, ४६१, ४२१, ४८१, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६६, ४०४ और ४२२ की सीमा
 पश्चिम-खसरा काट सं. ४०७ और ४२० के बीच का नाला

२५३६	६०.००	६०.००	
२२४६/४	१८.०७	१५१.२८	
२२६१	२६.४५		
२२६३	१८.८२		
२२६५	०.०७		
२२६६	०.२२		
२२६७	४६.४४		
४२०	६५.०१		
४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६६, ४०४	१८६.५८		
५००	५०.००		
२३६.५८	२३६.५८		

हमीरपुर जिला
 प्रभागिकी
 महाशा-वनप्रभाग
 महाशा

